

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गौरी
तहसील चनवाली जिला रिवाड़ी


उत्तराखण्ड में जनपद गौरी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत गौरी परियोजना के निर्माण हेतु 0.20 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 0.20 हे० वन भूमि का गौरी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौरी द्वारा दिनांक 2.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गौरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि गौरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत दिनांक 20 अगस्त
ग्राम गौरी ग्राम सचिव
डि० ख० भिलंगना, डि० ५०



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधान ग्राम पंचायत बौर

विकास खण्ड भिलंगना जनपद टिहरी गढ़वाल

(उत्तराखण्ड)

आकेश प्रसाद गैरोला

प्रधान

कार्यालय:-

ग्राम-बौर पोस्ट-पिलखी, पट्टी-कोटि-फंगुल

जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

मो०- 9758008135-7830285787

पत्रांक.....

दिनांक 21.3.2015

सीमाना जी बाना घनसाही के बिचे दुमेदीधार में प्रस्तावित
झाराकीर भूमि जो कि दुमेदीधार में P.W.D के बिचे-
इस सम्बन्ध में बौर गांव से भनापति आता प्रमाणित
आता द्वारा इन अर्तों के सुवाचित प्रमाण प्रदान किया गया है
जब कि भविष्य में बाना भवन का कार्य किया जायेगा

ग्राम सभा कि निम्न लिखित अर्तों पर ध्यान दिया जाय

- ① ग्राम सभा बौर के कपरमिटी न डीके जिलेसे गांव को रक्ख
न हो,
- ② प्रस्तावित भूमि के कपर ग्राम सभा का प्राचीन भान्दर
हो इसका रास्ता न रोका जाय, भान्दर के जगह पर
सुझाई न करे,




दिनांक..... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायतकेर

क्रमांक	ग्राम सभा के वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	पुष्पानन्द झा 510 श्री इन्द्र भण्डारी	पुष्पानन्द झा
2 -	पितृ प्रसाद झा 510 श्री सतेश्वर झा	पितृ प्रसाद झा
3 -	पदम झा 510 श्री भोलादत्त	पदम झा
4 -	राजेश्वर प्रसाद 510 श्री राजेश्वर प्रसाद	राजेश्वर
5 -	वीरेन्द्र दत्त 510 श्री विद्यादत्त	वीरेन्द्र दत्त
6 -	वाचस्पति 510 श्री राजाधर	वाचस्पति
7 -	देवी प्रसाद 510 श्री देवी प्रसाद	देवी प्रसाद
8 -	उपेन्द्र दत्त 510 श्री विद्यादत्त	उपेन्द्र दत्त
9 -	गोविन्द प्रसाद 510 श्री गोविन्द प्रसाद	गोविन्द प्रसाद
10 -	हर्ष पति 510 श्री वाचस्पति	हर्ष पति

ह0 -

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- ग्रामिण धाना गवन वनवासी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिंजौर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, _____

उपखण्ड पिंजौर परिक्षेत्र के अन्तर्गत _____
(0-20 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि — हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0-20 हे० वन भूमि) का
ग्रामिण धाना गवन प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिंजौर) की दिनांक _____ को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री पारश्वर प्रसाद बडोनी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री बगेश लाल उपजिलाधिकारी _____ अध्यक्ष
- 2- श्री उमेश प्रसाद उप प्रभागीय वनाधिकारी _____ सदस्य
- 3- श्री सुरेश चन्द्र रेड्डी सहायक समाज कल्याण अधिकारी पिंजौर सदस्य/सचिव
- 4- श्री पारश्वर प्रसाद बडोनी बी०डी०सी० क्षेत्र _____ सदस्य

पारश्वर प्रसाद बडोनी
सदस्य
पत्र बंधायात बार्ड-37 (पिंजौर)
पिंजौर विभाग पिंजौर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

ग्रामिण धाना गवन वनवासी
परियोजना हेतु 0-20 हे० वन
भूमि ग्रामिण धाना गवन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उमेश प्रसाद द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत
.....परियोजना के निर्माण हेतु.....20.....हे0 वन
भूमि.....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त
कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद
.....

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी,को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील
जनपद
.....

प्रारूप-30.1

**OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTRAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under
schedule Tribes & Other Traditional forest Dwellers (Recognition of Rights)
Act (FRA) 2006.**

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District
constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **shri Yugal
Kishor Pant I.A.S District Collector Tehri Garhwal** on dateat
New Tehri in which the applicant claiming rights in forest area measuring 0.20
Hectare for the construction of **Thana Ghansali** of forest land under FRA 2006
of the following application duly processed and recommended by the sub
Division level committee of **Ghansali** sub division were discussed to consider the
same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no
objection/claims were found to have been made and hence District Level
committee recommended the above case for diversion for diversion for the said
purpose.

place- Tehri


Date-


(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी
Tehri Garhwal.
District Collector Cum chairman
District Level committee
Tehri Garhwal.


Encl.-01


It is further certified that – Minutes of meeting of Thana Ghansali 0.20 He.
Regarding FRA is as follows –

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.20 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure..to annexure...	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
संजुला नंगी
सदस्य
जिला पंचायत पढागली
दिनांक 10 मिलगना (दि०१०)


समाज कल्याण अधिकारी
जिला पंचायत कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर


प्रभागीय अधिकारी
टिहरी गढ़वाल


सुमन किशोर पन्ना
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

FORME-I

(for projects other than linear project)

Government of Uttarakhand
No..

Office of District collector Tehri Garhwal
Date.....


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.0394 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Superintendent of police, (name of user agency) for construction of Thana Ghansali Scheme** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of Ghansali in Ghansali Tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.0394 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level committee are enclosed as annexure....to annexure.....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it;
- (C) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Eucl: As above


(युगल किशोर पन्त)
signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
तेहरी गढ़वाल